86

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

सूचना का अधिकार

क्रमांक प. 3(22) प्रसु/सूअप्र/2006 जयपुर, दिनांक: 23.10.1

परिपत्र

ऐसा संज्ञान में आया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदकों को सूचना प्राप्त करने में कतिपय कठिनाईयां आ रही हैं। आम आवेदकों/संगठनों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि कई विभागों के कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारियों के नाम एवं पदनाम का लेखन साईन बोर्ड लगा हुआ नहीं होने के कारण आमजनता को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। कई विभागो की वेबसाईट पर कार्यालय स्तर तक के लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के नामों की सूचना प्रदर्शित नहीं की हुई है और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (बी) का मैन्युअल भी कई विभागों द्वारा तैयार नहीं किया गया है तथा वेबसाईट पर नहीं डांला गया हैं।

इस संबंध में पूर्व में भी राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 03.10.2005, 03.05.2007, 11.02.2010, 18.05.2010, 05.05.2011, 03.06.2011 एवं 14.06.2011 आदि के द्वारा समस्त लोक सूचना अधिकारियों को विभागों में सूचना का अधिकार के तहत कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों के साईन बोर्ड लगाये जाने एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (बी) में अंकित 17 बिन्दुओं की पूर्ति करते हुए विभाग की वेबसाईट में अद्यतन (अपडेट) किये जाने के निर्देश/दिशा–निर्देश एवं परिपत्र जारी किये गये हैं।

अतः सभी लोक प्राधिकरणों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अधीनस्थ विभागों में यह सुनिश्चित करें कि विभागों के बाहर कार्यालयों में पदाभिहित लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कार्यरत कार्मिकों की सूचना साईन बोर्ड में अंकित करवाये एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (बी) की सूचना विभाग की वेबसाईट पर अद्यतन (अपडेट) करावें ताकि आमजन को समय पर सूचनायें प्राप्त करने में सुविधा हो सके।

JD(M)TAD
DUS / SJE / SAP / CR
MD SCDC
28/10

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

N0009
31/10/12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ लोक प्राधिकरण को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर्स/जिला पुलिस अधीक्षक।
8. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

Mail to TAD for n/a

शासन उप सचिव